Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

बनाम

1. पूरा वल्द रामू जाति चमार साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़
2. अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन खण्ड़ सूरतगढ़

किस्म मुकदमा– रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या :– 385/2013 जीसीएमएस न. 2013/00736

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.9.2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर प्रकरण भूमि रोही किशनपुरा के खसरा न. 341 में 5.870 है0 बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 पूरा पुत्र रामू जाति चमार साकिन किशनपुरा को उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित होकर जमाबंदी संवत 2070 में दर्ज रिकार्ड है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.04.1967 की फोटो प्रति अनुसार उक्त रकबा घग्घर बांध डिप्रेशन संख्या 1 के लिए आरक्षित थी। प्रार्थी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित भूमि का आवंटन खारिज करवाने बाबत प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे रेफरेन्स अपूर्ण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी तहसीलदार सूरतगढ़ को मूल आवंटन पत्रावली, आंवटन संबंधी मूल अभिलेख पेश करने हेतु पूर्व में 10 अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक मूल अभिलेख पेश नहीं किया गया है। अतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड़ किया जाता है कि वे मूल आवंटन अभिलेख की प्रमाणित प्रति, आवंटन के समय तथा वर्तमान में रकबा पर कौन व किस हैसियत से काबिज है, की रिपोर्ट सहित तथा यदि रकबा जल संशाधन विभाग द्वारा अवाप्तशुदा/विभाग के लिए आरक्षित है तो जल संशाधन विभाग को भी पक्षकार बनाते हुए अवाप्ति संबंधी/आरक्षण संबंधी अभिलेख सहित एवं रकबा के संबंध में वादों की बहुलता को रोकने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र सहित अविलम्ब नियमानुसार वापिस रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश करे। चूंकि प्रकरण राज्य हित से संबंधित है अतः पुनः रेफरेन्स पेश करने में होने वाले विलम्ब के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) Signature Not Verified Digitally signed by Deenanath Babbal Date: 2025.11.24 17:24:22 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner